अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

	न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, रॉची सी0 सी0 ए0 वाद सं0 132/2023	
07 22.01.2024	राज्य बनाम् मो० जाकिर अंसारी पिता मो० हदीस अंसारी निवासी आई०एस०एम० चौक पुन्दाग, थाना पुन्दाग ओ०पी० जिला राँची (झारखण्ड) .... विपक्षी आदेश वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 1487/डी०सी०बी० दिनांक 10.11.2023 द्वारा मो० जाकिर अंसारी पिता मो० हदीस अंसारी निवासी आई०एस०एम० चौक पुन्दाग, थाना पुन्दाग ओ०पी० जिला राँची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(1)(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमे आरोप पत्र भी समर्पित है:– 1. जगरनाथपुर (पुन्दाग ओ0पी0) थाना कांड संख्या–23/16 दिनांक–14.01.2016 धारा–420/467/468/471/34 भा0द0वि0 2. जगरनाथपुर (पुन्दाग ओ0पी0) थाना कांड संख्या–390/17 दिनांक–05.11.2017 धारा–387 भा0द0वि0 3. जगरनाथपुर (पुन्दाग ओ0पी0) थाना कांड संख्या–54/20 दिनांक–28.01.2020 धारा–387 भा0द0वि0 4. अप्रा0सं0–19/15, दिनांक 15.12.2015, धारा 107 द०प्र०सं० 5. अप्रा0सं0–08/16, दिनांक 06.04.2016, धारा 107 द०प्र०सं० 6. अप्रा0सं0–04/15, दिनांक 05.12.2015, धारा 144 द०प्र०सं० 7. अप्रा0सं0– 15/23, दिनांक 28.07.2023, धारा 107 द०प्र०सं० 8. पुन्दाग ओ० पी० सन्हा सं० 11/2023 दिनांक 09.09.2023 9. पुन्दाग ओ० पी० सन्हा सं० 18/2023 दिनांक 09.09.2023	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

10. पुन्दाग ओ० पी० सन्हा सं० 16/2023 दिनांक 26.09.2023
11. पुन्दाग ओ० पी० सन्हा सं० 09/2023 दिनांक 16.10.2023
12. पुन्दाग ओ० पी० सन्हा सं० 18/2023 दिनांक 27.10.2023

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, हटिया, राँची का ज्ञापांक–2695/23, दिनांक 06.11.2023 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि मो० जाकिर अंसारी पिता मो० हदीस अंसारी निवासी आई०एस०एम० चौक पुन्दाग, थाना पुन्दाग ओ०पी० जिला राँची एक सक्रिय भू–माफिया है। इनका मुख्य पेशा लोगों में भय दिखाकर जमीन पर कब्जा करना, जमीन के नाम पर ठगी करना, सरकारी जमीन पर कब्जा करना एवं लोगों को हथियार दिखाकर भयाक्रांत करना मुख्य पेशा है। इनके भय से लोग दहशत में भी रहते हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा इनके विरुद्ध कार्रवाई होने पर आम लोगों को शांति एवं सुरक्षा का अनुभव होता है थाना में काण्ड दर्ज होने के उपरांत यह कुछ दिन सही रहते है तत्पश्चात् उग्र एवं उदण्ड प्रवृति के रूप में आ जाते है। अपराधिक घटना में शामिल रहने के बावजूद भी संबंधित कांडों के पीड़ित गवाह एवं अन्य लोग भय से इनके खिलाफ गवाही देने तथा पुलिस को बताने को तैयार नहीं होते हैं। फलस्वरूप कई अन्य अपराधिक घटनाओं में शामिल होने के बावजूद भी संबंधित कांडों में अभियुक्तिकरण नहीं हो पाता है। इनके अपराधिक गतिविधि से आम जनता में भय दहशत एवं आतंक व्याप्त है। जिससे लोक व्यवस्था शांति व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a) (b)(i)(ii) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी के अनुसार – विपक्षी कानून को मानने वाले सभ्य नागरिक है। विपक्षी एक प्रतिष्ठित व्यवसायी है तथा अंसारी इन्टरप्राईजेज नामक सेनेटरी का दुकान का संचालन करते है। पुलिस के द्वारा धारा 107 द०प्र०संहिता के अन्तर्गत प्रतिवदित मामलो मे से किसी भी मामले मे उन्हे कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ है। विपक्षी के

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

खिलाफ दर्ज मामलो मे से जगरनाथपुर (पुन्दाग ओ०पी०) थाना कांड सं० 23/2016 मे विपक्षी को जमानत प्राप्त है। इस वाद मे अभियोजन विगत सात वर्षो मे कोई भी गवाह पेश करने मे सफल नही हुए है। जगरनाथपुर (पुन्दाग ओ० पी०) थाना कांड सं० 390/2019 मे भी विपक्षी को जमानत प्राप्त है। इस वाद मे जॉच विगत 6 वर्षो से लंबित है। जगरनाथपुर (पुन्दाग ओ० पी०) थाना कांड सं० 54/2020 मे भी जॉच विगत 3 वर्षो से लंबित है। विपक्षी के खिलाफ कोई नया मामला दर्ज नही किया गया है। विपक्षी आदतन अपराधी नही है तथा असमाजिक तत्व के श्रेणी मे नही आते है।

अभिलेख के समग्र अवलोकन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के प्रतिवेदन से विदित होता है कि विपक्षी एक एक असामाजिक तत्व है। इनके आचरण से समाज में अशांति एवं आम जनता के बीच भय, आंतक एवं दहशत का माहौल बना हुआ है। जिस कारण से लोक शांति एवं विधि–व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जो इनके सक्रिय अपराधकर्मी होने का द्योतक है। विपक्षी द्वारा अपने बचाव मे कोई ठोस आधार या सबूत पेश नही किया गया है। इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुंण रखने के निमित अपराधकर्मी मो० जाकिर अंसारी पिता मो० हदीस अंसारी निवासी आई०एस०एम० चौक पुन्दाग, थाना पुन्दाग ओ०पी० जिला राँची पर निगरानी रखना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(1)(a),3(1),(b)(1) में अंकित प्रावधानों के आलोक में विपक्षी मो० जाकिर अंसारी पिता मो० हदीस अंसारी निवासी आई०एस०एम० चौक पुन्दाग, थाना पुन्दाग ओ०पी० जिला राँची को दिनांक 29.01.2024 से दिनांक 28.04.2024 तक की अवधि के लिए पुन्दाग ओ०पी०, राँची में प्रत्येक एक पक्ष (पंद्रह दिन) मे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–7 (2) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे थाना प्रभारी, पुन्दाग ओ०पी० के समक्ष रू0 10,000/–का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 28.01.2024 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 29.01.2024 से दिनांक 28.04.2024 तक प्रत्येक एक पक्ष (पंद्रह दिन) मे पुन्दाग ओ० पी० राँची के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा समाज में good behavior बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	4	
	अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) धारा–7 (2) (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में अगर विपक्षी प्रति एक पक्ष (पंद्रह दिनों) मे अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते है, तो ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति मो० जाकिर अंसारी पिता मो० हदीस अंसारी निवासी आई०एस०एम० चौक पुन्दाग, थाना पुन्दाग ओ०पी० जिला राँची (झारखण्ड) तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे। (लेखापित एवं संशोधित) जिला दण्डाधिकारी राँची जिला दण्डाधिकारी राँची	

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2024.02.05 22:27:31 -08:00
Location: 192.168.1.4